कार्यालय कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट जिला रीवा (म.प्र.)

–::आदेश::–

रीवा, दिनांक 04-08-2020

क्रमांक 818 / रटेनो / 2020 म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ–10–02/2020/2017 मेडी–2, भोपाल दिनांक 7 मार्च 2020 के परिपेक्ष्य मे म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। सचा.स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272, दिनाक 24/3/2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वायरस (कोविड–19) महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

1. म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प्र.स /स्वास / सत्रह /मेडि–3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) मे निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:–

2. सेमरिया क्षेत्र मे पाए गए कोविड–19 संक्रमित पॉजिटिव केस के घरो की जानकारी निम्नानुसार है।

सरल क्रमांक	स्थान का नाम
1–	ग्राम रगौली वार्ड क्रमांक 11 राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

संबंधित व्यक्ति राजेन्द्र साहू के घर को EPICENTER घोषित करते हुए हरदुआ अतरैला मुख्य मार्ग के पश्चिम मे ग्राम रगौली के वार्ड क्रमांक 11 ग्राम रगौली (रामप्रकश साहू के मकान से मनसुखलाल साहू के मकान तक) राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र. को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र मे अनिवार्यतः किया जावेगा।

3. कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी THE EPIDEMICES DISEASES COVID-19 REGULATION 2020 अंर्तगत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है। :–

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	जनपद अधिकारी	पीडब्ल्यूडी अधिकारी
ग्राम हरदुआ अतरैला मुख्य मार्ग के पश्चिम में ग्राम रगौली वार्ड क्रमांक 11 राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा (म.प्र.)	श्री नीलमणि अग्निहोत्री (एस.डी.एम) मो. 9424769987	श्री रवि श्रीवास्तव तहसीलदार तहसील सेमरिया मो. –9425846082	श्री पी.एस परस्ते मो. –8234867068 एस.डी.ओ.पी सिरमौर	सुश्री सुचिता सिंह (मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिरमौर) मो. 8860526244	कमलेश सिंह मो.9300740810 एसडीओ पीडब्लूडी सिरमौर

1. कंटेनमेंट प्लान एवं कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉ. श्री राहित मिश्रा मो0न0 8878864891 मेडिकल ऑफीसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रगौली मोबाइल नंबर– 8878864891 रहेंगे। तथा सहायक नोडल– परियोजना अधिकारी श्रीमती पूर्णिमा सिंह मो– 9926772088, रहेगी।

कंटेनमेंट एरिया

1. कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रुप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारंनटाइन मे रहना उचित होगा। संदर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। अतः कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

2. कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा। जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

3. कंटेनमेंट एरिया हेतु सी.एम.एच.ओ द्वारा विशेष रैपिड रिस्पॉन्स टीम/मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जावेगा, जो प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर हो।

4. उक्त क्षेत्र के एंटी एग्जिटेट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियो द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जावेगी।

5. समस्त वार्डवार फंट लाइन, कार्यकर्ता/एपीसेन्टर से प्रति टीम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा मे रिपोर्ट श्री डॉ. श्री नितिन शुक्ला मेडिकल ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया मोबाइल नंबर– 8839258769, को अनिवार्यतः उपलब्ध करायेंगे,

6. समस्त टीम कोविड–19 ससपेक्टेड केस की मॉनीटिरिंग प्रतिदिन करेंगे। एवं कोविड–19 संक्रमण की

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संभावित लक्षण जैसे बुखार, खाँसी, श्वॉस, लेने मे तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर–आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगे।

7. समस्त कोविड–19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम क्वारांनटाइन कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे संक्रमण को समुदाय मे फैलने से रोका जा सके।

8. जिसको होम क्वारांनटाइन किया गया है। उसका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा। (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक कि ससपेक्टेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिव न आ जाए।और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के फार्स्ट कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारांनटाइन मे रखना होगा। एवं फॉलोअप अतिरिक्त 14 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।

9. आँगे संक्रमण फैलाने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट टेसिंग करते हुए समस्त संबंधितों (सेल्फ डिकलरेशन फार्म मे उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क ट्रेसिंग किया जाकर उन्हे भी होम कोरेन्टाईन करवाने की कार्यवही व उनकी भी प्रतिदिनसम्पर्क करते हुये सम्पर्क एव की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करे।

10. जनपद के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।

11. सस्पेक्टेड केस आर.आ.टी./एम.एम.यू द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हीत कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटेकोल पालन करवाना सुनिश्चत करें।

12. समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(इलैया राजा टी)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म.प्र.)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

पृ0क्र0 818 /स्टेनो/2020 रीवा दिनॉकः– 04-08-2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परि.कल्याण विभाग, मंत्रा.वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
6. कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
10. पुलिस अधीक्षक जिला रीवा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अपर जिला दंण्डाअधिकारी, जिला रीवा।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ कार्यवाही हेतु।
13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (समस्त) तहसील............... की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रीवा।
15. जिला अपूर्ति अधिकारी, जिला रीवा।
16. नगर पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. स्टेनो/टू कलेक्टर/अपर कलेक्टर, रीवा।
18. संबंधीजन श्री .... की ओर पालनार्थ।
19. सहायक संचालक, जन सम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला रीवा (म.प्र.)

आदेश

,रीवा दिनांक 4 अगस्त 2020

क्रमांक/ 818 प्रवा.कले./ 2020 मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 10.02 / 2020 /17/मेडी–2 भोपाल दिनांक 07.03.2020 के परिपेक्ष मे मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोराना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / आईडीएसपी / 2020 / 272 दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोराना वायरस कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क./प्र.सं./स्वास/ सहस्त्र /मेडि–3 / 596 भोपाल दिनाक 23.03.2020 द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) मे प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किए जा चुके हैं । मै इलैया राजा टी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , रीवा (म.प्र.) पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेक्शन 71(1) एवं 71(2) मे निहित शक्तियो का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ ।

Covid-19 महामारी की रोकथाम कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम हरदुआ अतरैला मुख्य मार्ग के पश्चिम में स्थिति ग्राम रमौली के वार्ड क्रमांक 11 मे रामवकस साहू के घर से मनसुखलाल साहू के घर तक राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया तहसील सेमरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है । कंटेनमेंट क्षेत्र के अतिरिक्त ग्राम के चारो ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन माना जाएगा जिसमें आई.एल.आई. के मरीजो की पहचान एवं त्वरित जानकारी देना आवश्यक होगा । उक्त कार्य के संपादन हेतु निम्नानुसार अधि./ कर्म. के कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं:–

सर्वेक्षण दल

दल क्र.	नाम	पद	मोबाइल नम्बर	वार्ड क्र.
1	श्रीमती अरूणा सिंह श्रीमती अंजुला त्रिपाठी	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता	8305295662 7582855883	11

पर्यवेक्षण दल

क्र.	नाम	पद	कार्य
1	रमेश कुमार चौधरी	सुपरवाइजर मो.7771024037	11

रिजर्व दल

1	श्री आशीष सिंह	रोजगार सहायक	7987168181	रिजर्व दल
2	श्रीमती हेमलता सिंह	ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता	6261100230	

उपरोक्त कार्यवाही हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सिरमौर नियंत्रण कक्ष रहेगा । नियंत्रण कक्ष की सभी व्यवस्था श्री डॉ.डी.पी.पाण्डेय मो.9425022268 खण्ड चिकित्सा अधिकारी सिरमौर, बी.पी.एम. श्री केशरी त्रिवेदी 9200182337 एवं बी.ई.ई. श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव 9424354241 सिरमौर करेगें । डॉ. रोहित मिश्रा मेडिकल ऑफीसर पी.एच.सी. मो0न0 8878864891 सेमरिया व डी.ई.ओ श्री दिनकर तिवारी मो.9575599935, कंटेनमेंट क्षेत्र मे कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य देखेंगे तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट सुपरवाइजर के माध्यम से प्राप्त कर खण्ड

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय एवं जिला कार्यालय को दोपहर 03 बजे के पूर्व प्रेषित करेगें। आर.आर.टी. सेमरिया संभावित संकमित व्यक्ति कंटेनमेंट क्षेत्र मे पाये जाने पर उनकी जानकारी प्राप्त करके सेम्पलिंग व आईसोलेशन के लिए उत्तरदायी होगें। सभी सर्वेक्षण दल प्रतिदिन की रिपोर्ट मिनी कंट्रोल रुम प्रा0 स्वा0 केन्द्र रंगौली मे अनिवार्यतः संकलित करावेंगे। उक्त कार्य का प्रशिक्षण दिनांक 04/8/20 प्रा0 स्वा0 केन्द्र रंगौली मे समय दोपहर 12:00 बजे से दिया जावेगा।

(इलैया राजा टी)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म.प्र.)

पृ.क./ 818 प्रवा.कले./2020

रीवा दिनांक 04-8 2020
04.08.2020

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग सिरमौर/सेमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. स्टेनो टू कलेक्टर / स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ ।
9. संबंधी जन श्री .... की ओर आदेश सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner